अटल पेंशन योजना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 पेंशन क्या है ? मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है?

पेंशन लोगों को उस समय मासिक आय उपलब्ध कराती है जब वे कोई काम काज नहीं कर रहे होते।

पेंशन की आवश्यकता:

- बढ़ती उम्र के साथ कमाने की क्षमता में कमी आना
- एकल परिवारों में वृद्धि - कमाने वाले सदस्यों का पलायन (छोड़कर चले जाना)
- रहन-सहन मंहगा होना
- दीर्घायु होना

निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मान की जिंदगी सुनिश्चित करती है।

2. अटल पेंशन योजना क्या है?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत के नागरिकों के लिए है और असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रूपये, 2000/- रूपये, 3000/- रूपये, 4000/- रूपये, 5000/- रूपये, प्रतिमाह गारंटीयुक्त पेंशन दी जाएगी।

3. एपीवाई में कौन-कौन शामिल हो सकता है?

भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्न हैः-

अभिदाता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उसका एक बचत बैंक खाता /डाकघर बचत खाता होना चाहिए।

संभावित आवेदक, समय-समय पर एपीवाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के दौरान आधार नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर, बैंक को उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि पंजीकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है।

4. सरकारी सह-अंशदान कितने वर्षों के लिए होगा?

1 जून, 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान योजन में शामिल होने वाले ऐसे अभिदाताओं, जो किसी अन्य संवैधानिक सामजिक योजना में शामिल नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है, उनके लिए भारत सरकार का सह-अंशदान पांच वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए उपलब्ध होगा। केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण से इस आशय की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कि अभिदाता ने अपनी सभी किश्तों का भुगतान कर दिया है, अभिदाता के कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 1000 की उपरि सीमा वाला सरकारी सह-अंशदान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा, योग्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या को दिया जाएगा सरकारी सह-अंशदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते में जमा किया जाएगा।

5. किन सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल लोगों को एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह- अंशदान प्राप्त करने के योग्य नहीं समझा जाएगा?

संविधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थी सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य सरकारी सह-अंशदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगेः-

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(ii) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1948

(iii) असम टी प्लांटेशनस प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड स्कीम एक्ट,1955

(iv) नाविक भविष्य निधि अधिनियम,1956

(v) जम्मू एवं कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1961

(vi) कोई अन्य सांविधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना।

6 एपीवाई के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलेगी?

अभिदाताओं द्वारा किये गये अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रूपये, 2000/- रूपये, 3000/- रूपये, 4000/- रूपये, 5000/- रूपये, की न्यूनतम तयशुदा पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।

7.एपीवाई योजना में शामिल होने पर क्या लाभ है?

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन लाभ की गांरटी सरकार की होगी इसका तात्पर्य है कि अंशदान अवधि के दौरान यदि पेंशन अंशदानों पर अर्जित वास्तविक प्रतिलाभ न्यूनतम गारंटीयुक्त मासिक पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिलाभ से कम होता है तो ऐसी कमी की पूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, यदि अंशदान अवधि के दौरान पेंशन अंशदान पर प्रोदभूत वास्तविक प्रतिलाभ न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन के लिए अनुमानित प्रतिलाभ से अधिक है तो ऐसी वृद्धि, अभिदाता को वर्धित योजना लाभ के रूप में अधिक पेंशन लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी। जून 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक योग्य अभिदाता , जो किसी अन्य संवैधानिक योजना के में शामिल नहीं है और आयकर दाता नहीं हैं, के खाते में सरकार भी कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या रूपये 1000/ प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। सरकारी सह-अंशदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता किये गये अंशदान पर, एक उपरि सीमा तक, के साथ-साथ ऐसे अंशदान पर निवेश प्रतिलाभ पर भी कर लाभ प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एनपीएस से निकास के समय वार्षिकी का खरीद मूल्य भी करमुक्त है और अभिदाता की पेंशन आय को सामान्य आय माना जायेगा साथ ही, अभिदाताओं पर भिन्न रूप से लागू , उपयुक्त मामूली कर दर के साथ यह करयुक्त होगी। एपीवाई अभिदाताओं के लिए भी समान कर व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। हालांकि, वर्ममान में, एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध कर व्यवस्था के अनुरूप ही एपीवाई अभिदाताओं के लिए समान कर व्यवस्था लागू है।

8. एपीवाई में किये गये अंशदान को किस प्रकार निवेशित किया जाता है?

एपीवाई के अंतर्गत किये गये अंशदान को पीएफआरडीए द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एनपीएस-लाइट/स्वावलम्बन योजना/एपीवाई के लिए निर्धारित निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशित किया जाता है।

9.एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

(i) जहां व्यक्ति का बचत खाता है उस बैंक शाखा/ डाक घर से सम्पर्क करें। यदि अभिदाता का बचत खाता नहीं है, तो एक बचत खाता खुलवायें।

(ii) बैंक खाता संख्या/ डाक घर बचत खाता संख्या उपलब्ध कराते हुए बैंक कर्मचारियों की सहायता से एपीवाई पंजीकरण प्रपत्र /फाॅर्म भरें।

(iii) आधार/मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें। यह अनिवार्य नहीं है लेकिन अंशदान से संबंधित जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा के लिए देना चाहिए।

(iv) मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाता/ डाक घर खाते में अपेक्षित बकाया राशि रखना सुनिश्चित करे।

10.योजना में शामिल होने के लिए क्या आधार नम्बर अनिवार्य है?

एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अभिदाता की सही पहचान के लिए आधार नम्बर उपलब्ध कराना वांछनीय है।

11.क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूँ?

एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता/ डाक घर बचत खाता अनिवार्य है।

12.खातें में अंशदान का क्या तरीका है?

अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते से आॅटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंतरालों के आधार पर अंशदान का भुगतान किया जा सकता है।

13. एपीवाई में कितना अंशदान करें?

मासिक, त्रैमासिक, और अर्धवार्षिक अंशदान, योजना में नामांकन के समय अभिदाता की आयु और वांछित/ निर्धारित मासिक पेंशन के आधार पर निर्भर करता है। विवरण अनुलग्नक I से प्राप्त करें।

14.मासिक अंशदान की देय तिथि क्या है?

मासिक अंशदान के मामले में, विशिष्ट महीने की किसी भी तिथि या त्रैमासिक अंशदान के मामले में, तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक अंशदान के मामले में अर्ध वर्ष के पहले महीने के किसी भी दिन बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते के माध्यम से एपीवाई में अंशदान का भुगतान किया जा सकता है।

15. देय तिथि पर बचत बैंक खाते में अंशदान के लिए अपेक्षित अथवा पर्याप्त राशि बनाये न रखने पर क्या होगा?

विलम्बित अंशदानों के लिए किसी भी प्रकार के अतिदेय ब्याज से बचने के लिए अभिदाता को निर्धारित तिथि को अपने बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते में अपेक्षित अतिशेष बनाये रखना चाहिए। मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंशदान माह/तिमाही/अर्धवर्ष की पहली तिथि को बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते में जमा कराया जा सकता है। हालांकि यदि महीने की आखिरी तारीख/तिमाही के पहले महीने की आखिरी तारीख /अर्धवर्ष के पहले महीने की आखिरी तारीख को अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते में अपर्याप्त राशि होने पर इसे व्यतिक्रम माना जाएगा और आगामी महीनों में विलम्बित अंशदानों के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अंशदान का भुगतान करना पड़ेगा। बैंकों को प्रत्येक 100 रूपये के अंशदान पर प्रतिमाह रूपये 1 या प्रत्येक विलम्बित अंशदान के लिए या उसके भाग के रूप में वसूल करना अपेक्षित है।

त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंशदान प्रणाली के लिए विलम्बिमत अंशदान के अतिदेय ब्याज को तदनुसार वसूल किया जाएगा। संकलित अतिदेय ब्याज राशि अभिदाता के पेंशन निधि के भाग के रूप में बनी रहेगी।

एक मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक अंशदान से अधिक की राशि को निधियों की उपलब्धता के अनुरूप वसूल किया जाएगा। सभी मामलों में अंशदान को अतिदेय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा, यदि कोई हो। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि को खाते मे निधियों की उपलब्धता के अनुसार वसूल किया जाएगा।

16. लगातार व्यतिक्रम /चूक किये जाने की स्थिति में एपीवाई खाते का क्या होगा?

खाता रख-रखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्‘कों के लिए अभिदाता के खाते में से समय-समय पर कटौती की जाएगी। ऐसे अभिदाताओं, जिन्होंने सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया है, अभिदाता अंशदान में से सरकारी सह-अंशदान घटाने पर यदि वह खाता रख रखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाता है तो उसे शून्य माना जाएगा और इस प्रकार निवल राशि शून्य हो जाती है। इस मामले मे, सरकारी सह-अंशदान, सरकार को वापिस कर दिया जाएगा।

17 . एपीवाई खाते के रख रखाव हेतु कौन-कौन से शुल्क और प्रभार लिये जाते हैं?

एपीवाई के अंतर्गत शुल्क एवं प्रभार

मध्यवर्ती	प्रभार	सेवा शुल्क	कटौती का तरीका
उपस्थिति अस्तित्व	(i) प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण (ii) आगामी लेन-देन	अभिदाताओं की संख्या के आधार पर रू 120/- से रूपये 150/- प्रत्येक अभिदाता के लिए रू. 100/- प्रतिवर्ष	स्वावलम्बन पद्धति के अनुसार, एपीवाई के लिए प्रचार और विकास शुल्क, प्रोत्साहन राशि का सरकार द्वारा भुगतान
केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण	(i) खाता खुलवाने का शुल्क (ii) खाता रख रखाव शुल्क	प्रति खाता 15 /- रूपये प्रति खाता 40 /- रूपये वार्षिक	यूनिटों के निरस्तीकरण के द्वारा
पेंशन निधि	निवेश प्रबंधन फीस	एयूएम का 0.0120 % प्रतिवर्ष	निवल आस्ति मूल्य में समायोजन
अभिरक्षक	निवेश रख रखाव फीस	एयूएम का इलैक्ट्रोनिक सेग्मेंट के लिए 0.0075 % और भौतिक सेग्मेंट के लिए 0.05 %प्रतिवर्ष	निवल आस्ति मूल्य में समायोजन

18. योजना में शामिल होते समय नामितिकरण करना क्या जरूरी है?

हाँ, एपीवाई खाते में नामिति विवरण देना अनिवार्य है। यदि अभिदाता विवाहित है, तो पति/पत्नी स्वतः नामिति होगा/होगी। अविवाहित अभिदाता किसी अन्य व्यक्ति को नामिति नियुक्त कर सकता है और विवाह के पश्चात उन्हें पति/पत्नी का विवरण उपलब्ध कराना होगा। पति/पत्नी और नामिति के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

19.मैं कितने एपीवाई खाते खोल सकता/सकती हूँ?

अभिदाता केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है और अद्वितीय है। एक से अधिक खातो की अनुमति नहीं है।

20. एपीवाई से प्रत्याहरण की क्या प्रक्रिया है?

क. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर:

60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, अभिदाता को गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन अथवा यदि निवेश प्रतिलाभ एपीवाई में सन्निहित गारंटीयुक्त प्रतिलाभों से अधिक है तो अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक के पास अनुरोध जमा कराना होगा। अभिदाता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी (डिफा ॅल्ट नामिति) को समान मासिक पेंशन दी जाएगी। अभिदाता और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर नामिति , अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित की गई पेंशन राशि को प्राप्त करने के योग्य होगा।

ख. 60 वर्ष की आयु के बाद किसी कारणवश अभिदाता की मृत्यु होने पर:

अभिदाता की मृत्यु होने पर अभिदाता के पति/पत्नी को पेंशन दी जाएगी और दोनों (अभिदाता और उसका पति/पत्नी) की मृत्यु होने पर , अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित की गई पेंशन राशि नामिति को वापिस कर दी जाएगी।

ग. 60 वर्ष की आयु से पूर्व निकास

ऐसी स्थिति में, जहाँ अभिदाता ने एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया है और वह भविष्य में एपीवाई से स्वैच्छिक निकास चाहता है तो ऐसे मामले में, उसे केवल उसके द्वारा एपीवाई में किये गये अंशदान के साथ उसके अंशदान पर प्रोद्भूत वास्तविक आय (खाता रख-रखाव शुल्क की कटौती के बाद) को वापिस लौटाया जाएगा। ऐसे अभिदाता को सरकारी सह-अंशदान और सरकारी सह-अंशदान पर प्रोद्भूत वास्तविक आय को लौटाया नहीं जाएगा।

घ. 60 वर्ष की आयु से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने पर

60 वर्ष की आयु से पूर्व अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु होने पर, अभिदाता के पति/पत्नी को अभिदाता के एपीवाई खाते, जो कि पति/पत्नी के नाम से चलाया जाएगा, में निर्धारित बची हुई अवधि, जब तक कि मूल अभिदाता की आयु 60 वर्ष न हो जाये, के लिए अंशदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अभिदाता के पति/पत्नी, अभिदाता को मिलने वाली समान पेंशन राशि, आजीवन प्राप्त करने का हकदार होगा।

या, एपीवाई के अंतर्गत समग्र संचित राशि को पति/पत्नी/नामिति को लौटा दिया जाएगा। पति/पत्नी /नामिति को किसी प्रकार की पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

21.क्या कोई ऐसा विकल्प होगा जिससे ज्यादा और कम पेंशन राशि के लिए मासिक अंशदान को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा?

अभिदाता संचयन अवधि के दौरान वर्ष में एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने अथवा घटाने के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है।

22. मैं अपने अंशदान की स्थिति के बारे में कैसे जान सकूंगा/सकूंगी?

अभिदाता को, प्रान चालू होने, खाते में मौजूद शेष राशि, अंशदान जमा इत्यादि से संबंधित जानकारी समय-समय पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर दी जाएगी। अभिदाता को वर्ष में एक बार खाते के विवरण की प्रति भी भेजी जाएगी।

23. क्या मुझे संव्यवहार विवरणी प्राप्त होगी?

हाँ, एपीवाई खाते की वार्षिक संव्यवहार विवरणी अभिदाता को उपलब्ध कराई जाएगी।

24. यदि मैं अपने निवास स्थान/ शहर में परिवर्तन कर करता/ करती हूँ, तो मैं अपने एपीवाई खाते में अंशदान कैसे करूंगा/करूंगी?

निवास स्थान /स्थान में परिवर्तन होने पर भी आॅटो डेबिट के जरिये अंशदान बिना किसी बाधा के जमा किया जा सकेगा।

25. अभिदाता के अनिवासी भारतीय (देश के बाहर किसी दूसरे देश में बस जाना) होने पर क्या होगा?

यह योजना केवल देश के नागरिकों के लिए शुरू की गई है । इसलिए ऐसी स्थिति में एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और उपरोक्त वर्णित 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकास के मामले के अनुसार जमा अंशदान को अभिदाता के खाते में वापिस भेज दिया जाएगा।

26. एनपीएस-लाइट/ स्वावलम्बन योजना के वर्तमान अभिदाताओं का क्या होगा?

(d) 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के अभिदाता:

योजना से निकास के विकल्प को चुनने के साथ ही अभिदाता स्वतः एपीवाई में स्थानांतरित हो जाएंगे। ऐसे अभिदाताओं को स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने में संबंधित संकलनकर्ता सहायता प्रदान करेंगे। अभिदाता अपने स्वावम्बन खाते को एपीवाई में स्थानांतरित कराने के लिए अपने प्रान विवरण के साथ निकटतम अधिकृत बैंक शाखाओं/डाकघर से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

एपीवाई योजना में स्थानांतरण करने वाले ऐसे स्वावलम्बन अभिदाताओं के लिए भारत सरकार की ओर से मिलने वाला सरकारी सह-अंशदान का लाभ दोनों योजनाओं के अंतर्गत पांच वर्षों के लिए ही होगा। उदहारणतः यदि किसी स्वावलम्बन लाभार्थी ने एक वर्ष का सरकारी सह-अंशदान का लाभ प्राप्त कर लिया है तो ऐसे अभिदाता के लिए स्वावलम्बन योजना से स्थानांतरण के पश्चात एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह-अंशदान केवल 4 वर्षों अथवा उसी प्रकार के लिए उपलब्ध होगा।

एपीवाई में प्रस्तावित स्वतः स्थानांतरण का चयन नहीं करने वाले विद्यमान स्वावलम्बन लाभार्थियों को सरकारी सह-अंशदान, यदि वे योग्य हैं तो वर्ष 2016-17 तक दिया जाएगा और ऐसे अभिदाताओं के लिए योजना के अंतर्गत निकास की आयु प्राप्त करने तक एनपीएस स्वावलम्बन जारी रहेगा।

एपीवाई में स्थानांतरित 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग विद्यमान स्वावलम्बन अभिदाताओं की संचित निधि को समान प्रान के अंतर्गत रखा जाएगा और निकास के समय तक इसे अभिदाता की अतिरिक्त राशि के रूप बनाये रखा जाएगा। अतिरिक्त राशि को अभिदाता को वर्धित पेंशन लाभ या एकमुश्त प्रत्याहरण, जैसा भी मामला हो, के रूप में दिया जा सकता है। स्वावलम्बन योजना से एपीवाई योजना में स्थानांतरण के बाद, एपीवाई योजना के अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं का अंशदान अभिदाताओं की आयु और चयनित पेंशन राशि के आधार पर अनुलग्नक I में उल्लेखित राशि के अनुसार

होगा।

(ख) 40 वर्ष की आयु से अधिक के अभिदाता :

40 वर्ष से अधिक आयु वाले स्वावलम्ब्न अभिदाताओं को योजना के अंतर्गत वार्षिकीकरण हेतु योग्य होने के लिए, 60 वर्ष की आयु तक योजना में बने रहना होगा।

27. यदि मैं एक विद्यमान एपीवाई अभिदाता हूँ, तो क्या मैं अपनी सुविधानुसार मेरी मासिक आॅटो डेबिट सुविधा को त्रैमासिक या अर्धवार्षिक में परिवर्तित कर सकता हूँ?

हाँ, अभिदाता वर्ष में एक बार अप्रैल माह के दौरान अपनी आॅटो डेबिट सुविधा (मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक) में परिवर्तन कर सकते हैं।

28. यदि मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक है तो क्या मैं अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हूँ?

नहीं, 18 वर्ष से 39 वर्ष 364 दिन के आयुवर्ग के व्यक्ति ही अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं।

अभिदाता अंशदान सारणी (आयुवार)

अनुलग्नक 1

		रूपये 1000/-प्रतिमाह की न्यूनतम गांरटीयुक्त पेंशन			रूपये 2000/-प्रतिमाह की न्यूनतम गांरटीयुक्त पेंशन			रूपये 3000/-प्रतिमाह की न्यूनतम गांरटीयुक्त पेंशन			रूपये 4000/-प्रतिमाह की न्यूनतम गांरटीयुक्त पेंशन			रूपये 5000/-प्रतिमाह की न्यूनतम गांरटीयुक्त पेंशन		
नामिति को मिलने वाली सांकेतिक प्रतिलाभ राशि		रूपये 1.7 लाख			रूपये 3.4 लाख			रूपये 5.1 लाख			रूपये 6.8 लाख			रूपये 8.5 लाख		
शामिल होने के समय आयु	शेष अवधि	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान
18	42	42	125	248	84	250	496	126	376	744	168	501	991	210	626	1239
19	41	46	137	271	92	274	543	138	411	814	183	545	1080	228	679	1346
20	40	50	149	295	100	298	590	150	447	885	198	590	1169	248	739	1464
21	39	54	161	319	108	322	637	162	483	956	215	641	1269	269	802	1588
22	38	59	176	348	117	349	690	177	527	1045	234	697	1381	292	870	1723
23	37	64	191	378	127	378	749	192	572	1133	254	757	1499	318	948	1877
24	36	70	209	413	139	414	820	208	620	1228	277	826	1635	346	1031	2042
25	35	76	226	449	151	450	891	226	674	1334	301	897	1776	376	1121	2219
26	34	82	244	484	164	489	968	246	733	1452	327	975	1930	409	1219	2414
27	33	90	268	531	178	530	1050	268	799	1582	356	1061	2101	446	1329	2632
28	32	97	289	572	194	578	1145	292	870	1723	388	1156	2290	485	1445	2862
29	31	106	316	626	212	632	1251	318	948	1877	423	1261	2496	529	1577	3122
30	30	116	346	685	231	688	1363	347	1034	2048	462	1377	2727	577	1720	3405
31	29	126	376	744	252	751	1487	379	1129	2237	504	1502	2974	630	1878	3718
32	28	138	411	814	276	823	1629	414	1234	2443	551	1642	3252	689	2053	4066
33	27	151	450	891	302	900	1782	453	1350	2673	602	1794	3553	752	2241	4438
34	26	165	492	974	330	983	1948	495	1475	2921	659	1964	3889	824	2456	4863
35	25	181	539	1068	362	1079	2136	543	1618	3205	722	2152	4261	902	2688	5323
36	24	198	590	1169	396	1180	2337	594	1770	3506	792	2360	4674	990	2950	5843
37	23	218	650	1287	436	1299	2573	654	1949	3860	870	2593	5134	1087	3239	6415
38	22	240	715	1416	480	1430	2833	720	2146	4249	957	2852	5648	1196	3564	7058
39	21	264	787	1558	528	1574	3116	792	2360	4674	1054	3141	6220	1318	3928	7778